पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.9500

==========

धीरेंद्र कुमार कंठ, पुत्र- स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कंठ, डाक- पीरनगर, गाँव-पीरनगर, थाना-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

1. भारत संघ
2. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, 18 वीं बटालियन, सुपौल, जिला-सुपौल।
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
4. प्रधान सचिव, भूमि और सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अवर सचिव, भूमि और सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना
6. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना।
7. जिलाधिकारी, सुपौल।
8. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला-सुपौल।
9. उप समाहर्ता, भूमि सुधार, बीरपुर।
10. अनुमण्डल पदाधिकारी, बीरपुर।
11. अंचल अधिकारी, बसंतपुर, सुपौल।

..... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादि/यों के लिए : श्री साजिद सलीम खान, एस.सी.-25

यू.ओ.आई. के लिए : श्री अंशय बहादुर माथुर (सी.जी.सी.)

==========

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, 2013–याचिकाकर्ता की भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई थी और सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी गई थी, जिसके लिए सीमा सुरक्षा बल ने राज्य सरकार को संपूर्ण भुगतान का भुगतान किया था–याचिकाकर्ता ने राज्य द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया–याचिकाकर्ता के दावे की उचित जाँच कर रैयत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व अधिकारियों को एक आवेदन भेजा गया था–पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता की भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज की गई थी, अर्थात, बिहार सरकार की भूमि–अधिग्रहण से पहले, भूमि रैयतों के कब्जे में थी–अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता और उनके भाइयों के रैयत अधिकार की पुष्टि की –जब याचिकाकर्ता ने मुआवजे के भुगतान के लिए आवेदन दायर किया तो राज्य द्वारा शीर्षक अपील दायर की गई–राज्य की ओर से प्रस्तुत न करने के कारण शीर्षक अपील खारिज कर दी गई थी–पुनर्स्थापना दायर की गई थी लेकिन यह लंबित है–रिट याचिका का निपटारा निर्देशों के साथ किया गया।

(पैरा 13, 14, 26, 27, 31, 33 और 37)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय
मौखिक निर्णय
तारीख: 29-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गिरिजेश कुमार, एस.सी.-25 के विद्वान वकील श्री साजिद सलीम खान और भारत संघ के विद्वान वकील श्री अंशय बहादुर माथुर को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत की गई है:-

> *(i) प्रतिवादी के प्राधिकार को याचिकाकर्ता को उनकी भूमि के अधिग्रहण की तिथि से ब्याज सहित भुगतान करने तथा पर्याप्त मुआवजा देने के लिए निर्देशित करने के लिए, खाता संख्या 657, खेसरा संख्या 1639, 1640 तथा 1641, जिसका क्षेत्रफल 196 दशमलव है, जो मौजा-बीरपुर, थाना संख्या 5, अंचल-बसंतपुर, जिला-सुपौल में स्थित है, जिस पर सीमा सुरक्षा बल 18 बटालियन (एसएसबी) द्वारा दिनांक 05.11.2009 को कब्जा ले लिया गया है, अथवा संपूर्ण भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर याचिकाकर्ता के पक्ष में भूमि का कब्जा बहाल किया जाए;*

(ii) प्रश्नगत भूमि पर खड़े वृक्षों की कीमत का भुगतान वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित करने के लिए आगे निर्देश देने हेतु;

(iii) ऐसे अन्य आदेश/आदेश पारित करना जिन्हें माननीय न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझें।

3. हालाँकि, मामले में कई आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन जिस राहत के लिए याचिकाकर्ता ने रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, वह सात साल बीतने के बाद भी उसे नहीं मिली। यह सही समय है कि अब इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए।

4. याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार है:

5. भूमि शुरू में संपत्ति पर निहित रसीद के अनुदान पर निपटान के माध्यम से पूर्व मकान मालिक से याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के कब्जे में आ गई। जामबंदी याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कंठ के नाम पर बनाई गई थी और सरकार द्वारा 1964 से 2017 तक रसीद के अनुदान के साथ किराया स्वीकार किया गया था।

6. स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कंठ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को 1977-78 में खतियान में 'अनाबाद बिहार सरकार' के रूप में गलत प्रविष्टि के बारे में पता चला।

7. वर्ष 1980 में बी.टी. एक्ट की धारा 106 के अन्तर्गत उनके द्वारा टाइटल सूट संख्या 541/1980 प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 26.12.1995 को राजस्व अधिकारी,

बीरपुर द्वारा पूर्व भूस्वामी श्री भगवत प्रसाद सिंह द्वारा जारी बंदोबस्त रसीद सहित सभी दस्तावेजों, गवाहों की जांच के पश्चात याचिकाकर्ता के पूर्वजों के पक्ष में आदेश/निर्देश पारित किया गया।

8. संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के रसीदों को पाया और 'अनाबाद बिहार सरकार' के नाम पर सर्वेक्षण प्रविष्टि को गलत माना और आगे मौजा बीरपुर, थाना नंबर 5, अंचल बसंतपुर, जिला-सुपौल में स्थित खाता संख्या 657, खेसरा संख्या 1639, 1640 और 1641 माप (196 दशमलव के बराबर 1 बीघा और 4 कट्ठा) के संबंध में याचिकाकर्ता और मूल आवंटी के सभी अन्य उत्तराधिकारियों के नाम पर नाम दर्ज करने का निर्देश दिया और

9. तदनुसार, पारित एकतरफा आदेश उक्त मामले के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में था। निर्णय के बाद डिक्री दिनांकित 30.12.1995 आई जिसे कभी भी किसी प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई और इस तरह यह अंतिम रूप ले लिया।

10. स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कंठ की मृत्यु के बाद वे अपने पीछे चार बेटे छोड़ गए, जिनके नाम ज्योतेंद्र नारायण कंठ, गजेंद्र नारायण कंठ, राजेंद्र कुमार कंठ और धीरेंद्र कुमार कंठ (यहां याचिकाकर्ता) हैं। गजेंद्र नारायण कंठ अपने पीछे पत्नी मंजुला देवी और तीन बेटों नीरज कुमार वर्मा, विवेक कुमार वर्मा और मनोज कुमार को छोड़ गए, जो याचिकाकर्ता परिवार के *'कर्ता'* थे।

11. याचिकाकर्ता और उसके भाई के पक्ष में बनाई गई *'जमाबंदी'* को रद्द करने के लिए राज्य द्वारा उप-मंडल अधिकारी, बीरपुर की अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन

पर, अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 16.08.1991 को आदेश पारित किया, जिसमें यह दर्ज किया गया कि जमींदारी उन्मूलन के बाद पूर्व मकान मालिक द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर भूमि का निपटान किया गया था और याचिकाकर्ता और उसके भाई द्वारा राज्य सरकार को 1973-75 तक की रसीद भी प्रस्तुत की गई थी।

12. उक्त न्यायालय ने आगे कहा कि नए सर्वेक्षण में उक्त भूमि स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कंठ के उत्तराधिकारी द्वारा दायर टाइटल सूट संख्या 541/1980 के बारे में दर्ज है जो अभी भी लंबित है। इस प्रकार इसने कहा कि उक्त मालिकाना हक मुकदमे के निपटारे तक, याचिकाकर्ता और उसके भाई के नाम पर दर्ज जमाबंदी को रद्द करना उचित नहीं है।

13. बाद में, याचिकाकर्ता को पता चला कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण बीरपुर में सीमा सुरक्षा बल (संक्षेप में 'एसएसबी') के बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा था। चूंकि याचिकाकर्ता और उसके भाई को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए वे उक्त घटनाक्रम से अनजान रहे। बाद में, जानकारी मिलने पर, उन्होंने उक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए वर्ष 2012 में कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे अधिग्रहित कर 'एसएसबी' को सौंप दिया गया था।

14. कलेक्टर, सुपाल द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को 15.03.2012 को राजस्व अधिकारियों को दावे की जांच करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता का दाना सही पाया जाता है, तो '*रैयत*' प्रमाण पत्र जारी करें।

15. अंचल अधिकारी, बसंतपुर ने राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से विस्तृत जांच के बाद दिनांक 12.07.2013 को डी.सी.एल.आर, बीरपुर को

रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में भूमि 'अनाबाद बिहार सरकार' के नाम पर दर्ज थी। हालांकि, अधिग्रहण से पहले, भूमि रैयतों के कब्जे में थी। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि समझौता पहले रैयत के नाम पर निर्बाध रूप से दर्ज किया गया था। अंचल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.07.2013 में याचिकाकर्ता और उसके भाई के उक्त भूमि पर रैयत के अधिकार की पुष्टि की, जो 'एसएसबी की 18 वीं बटालियन के कब्जे में आई थी।

16. निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहित भूमि सहित उक्त अधिग्रहित भूमि का आंशिक मूल्य 'एस.एस.बी' द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सुपाल के समक्ष दिनांकित 27.06.2011 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया था और जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बीरपुर द्वारा एसएसबी 18 वीं बटालियन को संबोधित दिनांक 12.07.2010 को जारी पत्र में बीरपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए निधि आवंटन के उक्त मुद्दे के बारे में भी चर्चा की गई थी।

17. आगे निवेदन यह है कि जब इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों ने 2011 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 17738 (राजेश गुप्ता और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य) में इस न्यायालय का रुख किया, तो भुगतान किए गए थे।

18. जिला दंडाधिकारी, सुपौल ने दिनांक 20.08.2016 को पत्र के माध्यम से एस.एस.बी. से 1.23 एकड़ निजी भूमि की कीमत 2,00,29,145/- रूपये की मांग की थी, ताकि भूस्वामियों को भुगतान किया जा सके, जिसमें सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 17738/2011 के तहत उक्त रिट याचिका के भुगतान का संदर्भ दिया गया था, जिसे एस.एस.बी. पटना

द्वारा दिनांक 02.09.2016 को पत्र के माध्यम से मुख्यालय को अग्रसारित किया गया था। तदनुसार, उक्त रिट आवेदन के पक्षकारों के पक्ष में भुगतान जारी कर दिया गया।

19. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उनके पक्ष में आदेश/डिक्री (रिट याचिका के अनुलग्नक-2 और 3) और 06.08.2016 (अनुलग्नक-13) को उनके नाम पर दर्ज भूमि के साथ- साथ बहुत पहले भूमि अधिग्रहण के बावजूद, भुगतान का हिस्सा अभी भी उनके पास नहीं है।

20. उन्होंने दलील दी कि वर्तमान शीर्षक अपील संख्या/तारीख का अवलोकन करने से पता चलता है कि रिट याचिका दायर होने के बाद ही राज्य गहरी नींद से बाहर आया और उसने उस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया जिसे जवाबी हलफनामे में शामिल किया गया था।

21. यह उनका आगे का निवेदन है कि बाद में, यह भी गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया और अब बहाली याचिका दायर करने की आड़ में देरी की जा रही है।

22. जिला मजिस्ट्रेट, सुपाल की ओर से एक जवाबी हलफनामा/पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया और यह न्यायालय पैराग्राफ 5 से 7 को रिकॉर्ड पर रखना चाहेगा जो निम्नानुसार हैः

> *"5. कि, बैठक के दौरान, इसने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में माँग कमांडेंट, एस. एस. बी. 18वीं/45वीं बटालियन, बीरपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सुपौल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और उसके*

बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सुपौल याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगा

6. कि इसने आगे बसंतपुर के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह उक्त भूमि के संबंध में पहले प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दे, जिसमें उक्त भूमि को सरकारी भूमि माना गया है।

7. कि आगे पत्र संख्या-1908 दिनांक-18/11/2022 के माध्यम से कमांडेंट एस.एस.बी. 18 वीं/45 वीं बटालियन, बीरपुर को भी एक पत्र भेजा गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि वे मौजा बीरपुर, थाना संख्या--5, आंचल-बसंतपुर में स्थित भूमि के लिए एक नई मांग भेजें, जिसमें खाता संख्या--657 खेसरा संख्या-1639 क्षेत्र-0.83 एकड़, खेसरा संख्या-1640 क्षेत्रफल-0.63 एकड़ और खेसरा संख्या--1641 क्षेत्र-0.50 एकड़ यानी कुल माप क्षेत्र-1.96 एकड़ है, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-18/10/2022 के अनुपालन में याचिकाकर्ता को मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ”

23. इसके अलावा, ज्ञापन संख्या 09 दिनांक 08.11.2022 (जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक आर/3) यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर, सुपौल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर, सुपौल, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सपौल, कमांडेंट एस.एस.बी., 45 वीं बटालियन, बीरपुर और अंचल अधिकारी, बसंतपुर भी शामिल

थे, राजेश कुमार गुप्ता बनाम राज्य (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 17738/2011) से संबंधित समान स्थिति वाले मामले में भुगतान किया गया है। प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे शामिल किया गया हैः-

> "उक्त अर्जित भूमि के संदर्भ में समीक्षोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि केडस्टंल सर्वे (CS) खतियान में रैयति भूमि थी जो रिविजनल सर्वे (RS) में अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज हुआ। जिसके विरूद्ध रैयतों के द्वारा BT Act. की धारा 106 के तहतसंशोधन हेतु सक्षम पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर की गई। सक्षम पदाधिकारी (सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी) के द्वारा उपरोक्त अनावाद बिहार सरकार के नाम दर्ज भूमि को रैयती भूमि घोषित किया गया।
>
> जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इसी तरह के मामले में राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 17738/2011 के द्वारा दायर हुई थी। उक्त वाद के न्याय निर्णय के आलोक में समादेष्टा, एस0एस0बी0, 45वी वाहिनी वीरपुर के द्वारा 1.23 एकड़ भूमि का अधियाचना समर्पित की गई तदनुसार विधिवत भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मुआवजा भुगतान की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-18.10.2022 को पारित न्यायआदेश के अनुपालन हेतु RFCTLARR-2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री धीरेन्द्र कुमार कंठ को मुआवजा देने हेतु अधियाची विभाग (समादेष्टा, एस0एस0बी0, 45वी वाहिनी वीरपुर) उपरोक्त वर्णित भूमि का अधियाचना एक सप्ताह के अंदर समर्पित करेंगे। साथ ही अंचलाधिकारी बसंतपुर उक्त अधियाचित भूमि जो अनावाद बिहार सकरार की भूमि मानते हुए पूर्व में हस्तांतरित की गयी थी उक्त भूमि के संबंध में विभाग से हस्तांतरण प्रस्ताव को निरस्त करने के साथ सलामी एवं पूँजीकृत भूमि मूल्य वापस करने हेतु विधिवत अनुमंडल पदाधिकारी विरपुर के माध्यम से प्रस्ताव दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराऐंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में RFCTLARR-2013 के तहत सभी प्रकिया पूर्ण करते हुए मुआवजा भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाइ करेंगे। अंचलाधिकारी बसंतपुर उक्त भूमि के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

24. इसके बाद, कलेक्टर, सुपौल की ओर से पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया और यह सूचित किया गया कि चूंकि 2017 की स्वामित्व अपील संख्या 06 दायर की गई है और चूंकि यह एक सरकारी भूमि है, इसलिए उन्होंने याचिका के परिणाम तक विचाराधीन भूमि के संबंध में 'एस.एस.बी.' के साथ कोई मांग नहीं की।

25. हालाँकि, पैराग्राफ-6 में, यह स्वीकार किया गया है कि संबंधित जी.पी./ए.जी.पी. की ओर से अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण विद्वान उप-न्यायाधीश प्रथम, सुपौल के न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था तथा टाइटल बहाली के लिए विविध आवेदन अपील संख्या 12/2023 दायर की गई है, जो विद्वान उप-न्यायाधीश प्रथम, सुपौल के समक्ष लंबित है।

26. उस पुर्वभूमि में न्यायालय ने कलेक्टर, सुपौल को 01.04.2024 को नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

27. इसके अनुसरण में, एक अन्य हलफनामा कलेक्टर, सुपौल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि निपटान अधिकारी, बीरपुर ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह एक 'गैर मजारूआ भूमि है, भूमि पर याचिकाकर्ता का अधिकार घोषित करते हुए एक गलत आदेश पारित किया है। इसके अलावा, राज्य ने पहले ही 2017 की शीर्षक अपील संख्या 06 को प्राथमिकता दी है जो दुर्भाग्य से खारिज हो गई और 2023 का विविध आवेदन संख्या 12 लंबित है जिसके लिए सुनवाई की अगली तारीख 30.04.2024 थी।

28. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अर्थात कमांडेंट, एस.एस.बी., सुपौल द्वारा विधिवत रूप से हलफनामा दिया गया कमांडेंट, 65 वीं बटालियन, एस.एस.बी., बेतिया द्वारा, जिसके पास कमांडेंट, 45 वीं बटालियन, एस.एस.बी., बीरपुर की वैधानिक शक्ति है, अभिलेख पर है और पैराग्राफ 4 से 6 के अनुसार, यह दावा किया गया है कि उन्होंने राज्य सरकार (जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल) को पूरे 54.37 एकड़ भूमि के लिए पहले वर्ष 2006 में और बाद में वर्ष 2011 में भुगतान किया था। इसके अलावा, कंडि पैराग्राफ 5 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवादित 1.96 एकड़ भूमि उस 54.37 एकड़ भूमि का हिस्सा है, जिसके लिए भुगतान किया गया है।

29. यह न्यायालय उचित मूल्यांकन के लिए 'एस.एस.बी' के उत्तर के पैराग्राफ संख्या 4 से 6 को शामिल करना चाहेगा, जो इस प्रकार है:

> *"4. इस मामले के बारे में संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या-2 (एसएसबी) ने सशस्त्र सीमा बल (संक्षेप में एसएसबी) के बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए 75.13 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2004 में जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या-7 टोल ने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष संपूर्ण 75.13 एकड़ भूमि के लिए 6,00,16,030/- रुपये की प्रारंभिक मांग निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रस्तुत की है:*
>
> *(i) सरकारी भूमि (सिंचाई विभाग):34.68 एकड़@50,000/-कट्ठा- 2,08,08,000/-*
>
> *(ii) बिहार सरकार (राजस्व विभाग): 12.02 एकड़@50,000/-कट्ठा 72,12,000/-*

(iii) निजी भूमि (बीरपुर मौजा):16.94 एकड़@50,000/-कट्ठा 1,01,64,000/-

(iv) निजी भूमि (बसंतपुर एम): 11.32 एकड़ @50,000/- कट्ठा 20,37,600/-

(v) सरकारी भूमि (लघु/अवरक्त); 0.17 एकड़ @50,000/-कट्ठा = कुल 30,600/-

कुल रु. 4,02,52,200/-

सोलेटियम@30% अतिरिक्त रु. 1,20,75,660/-

अतिरिक्त 12% ब्याज के रूप में

अधिग्रहण की तिथि से रु. 48,30,264/-

.....

कुल रु. 5,71,58,124/-

जोड़ें:-5% स्थापना शुल्क रु. 28,57,906/-

कुल रु. 6,00,16,031/-

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में प्रतिवादी संख्या 7 ने विवादग्रस्त वर्तमान भूमि, जिसका क्षेत्रफल 1.96 एकड़ है, को 12.02 एकड़ भूमि का हिस्सा बिहार सरकार (अनाबाद बिहार सरकार) बताया है।

तदनुसार, बिहार राज्य द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार, प्रतिवादी संख्या-2 ने भूमि अधिग्रहण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल को पत्र दिनांक 05.04.2006 के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 29-03-2006 द्वारा सम्पूर्ण राशि 600,16,030/- रुपये का भुगतान कर दिया है।

5. यह भी कहा गया है कि दिनांक 05-11-2009 के पत्र द्वारा बिहार सरकार ने 54.37 एकड़ सरकारी भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यहां विवादित 1.96 एकड़ भूमि, जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी रैयती भूमि बताया है, 54.37 एकड़ भूमि (बटालियन मुख्यालय के लिए 46.87 एकड़ और बीओपी के लिए शेष 7.5 एकड़) का हिस्सा है, क्योंकि बिहार राज्य उक्त भूमि पर सरकारी भूमि होने का दावा कर रहा था।

6. इसके बाद प्रतिवादी संख्या-7 (डी.एम, सुपौल) ने अपने पत्र दिनांक 5-01-2010 और 17-06-2010 द्वारा संपूर्ण 54.37 एकड़ भूमि (बटालियन मुख्यालय के लिए 46.87 एकड़ और शेष 7.5 एकड़ बीओपी के लिए) के लिए 6,32,94,892/- रुपये की अंतिम मांग उठाई है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने 27 जून 2011 को पत्र द्वारा मुआवजे की पूरी राशि 6,32,94,892 रुपये का भुगतान कर दिया है, जो 16 जून 2011 को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा डीएलएओ, सुपौल के पक्ष में जारी किया गया है।

30. राज्य द्वारा अप्रकाशित 'एस. एस. बी.' के उपरोक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, सुपौल के माध्यम से बिहार राज्य के खजाने में आ गया है। यह भुगतान 'एस. एस. बी.' के रूप में किया गया था जिसे राज्य द्वारा कलेक्टर, सुपौल के माध्यम से सूचित किया गया था कि जो भूमि सौंपी जा रही है वह राज्य सरकार की है।

31. आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में हैं, भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, राज्य सरकार को वर्ष 2011 में ही 'एस.एस.बी.' से मुआवजा प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017 में देर से दायर की गई शीर्षक अपील उन आवश्यकताओं के अभाव में खारिज कर दी गई जो

विद्वान जी. पी. द्वारा दायर नहीं की गई थीं, जिसके बाद उक्त आवेदन की बहाली के लिए विविध आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।

32. यह न्यायालय की सुविचारित राय में, राज्य केवल समय ले रहा है और या तो स्वामित्व अपील को उनके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने या याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जो उसे पहले वर्ष 2006 में और बाद में वर्ष 2011 में 'एस.एस.बी.' से प्राप्त हो चुका है।

33. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के पास प्रतिवादी संख्या 7, जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सुपौल को निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है:

(i) 2023 के विविध आवेदन संख्या 12/2017 के शीर्षक अपील संख्या 06 को अगले छह महीनों में इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएं।

(ii) यदि राज्य छह महीने के भीतर इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता को अगले तीन महीनों में विचाराधीन भूमि के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान करना

(iii) यह 2017 की शीर्षक अपील संख्या 06 के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

34. आदेश पारित करने के पश्चात, यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता एक व्यक्ति है जो राज्य की शक्ति के विरुद्ध लड़ रहा है, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें उसे उसके द्वारा झेली गई पीड़ा के लिए कुछ लागत प्रदान की जाती है, जिसे यह न्यायालय 10,000/- रुपये निर्धारित करता है। यह लागत मुआवजे की राशि

के साथ तब चुकाई जाएगी, जब राज्य अगले छह महीनों के भीतर शीर्षक अपील संख्या 06/2017 को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में विफल रहता है।

35. चूंकि कलेक्टर, सुपौल को मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश दिया गया है, इसलिए संबंधित न्यायालय का यह कर्तव्य है कि जहां विविध आवेदन संख्या 12/2023/शीर्षक अपील संख्या 06/2017 लंबित है, वह मामले का शीघ्र निपटारा करे और यह सुनिश्चित करे कि यह अनावश्यक स्थगन के बिना समाप्त हो जाए।

36. यह न्यायालय आगे स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह से संबंधित न्यायालय का विवेकाधिकार है कि 2017 की स्वामित्व अपील संख्या 06 की बहाली के लिए दिए गए विविध आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं और इस न्यायालय ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

37. रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

नेहा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।